

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
01.04.2019	<p style="text-align: center;"><u>न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, पूर्णिया</u></p> <p style="text-align: center;">सी०सी०ए० वाद संख्या-23/2019</p> <p style="text-align: center;">अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत</p> <p style="text-align: center;">राज्य</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p style="text-align: center;">अपराधकर्मी सगीर</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अपराधकर्मी उपस्थित। प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के 2000/सी०आर०, दिनांक 25.03.2019 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी सगीर, पिता-मो० उद्दीन, सा०-रंगपुरा रमना टोला उत्तर, थाना-मीरगंज, जिला-पूर्णिया के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरुद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी सगीर, पिता-मो० उद्दीन, सा०-रंगपुरा रमना टोला उत्तर, थाना-मीरगंज, जिला-पूर्णिया एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। इनका एक संगठित गिरोह है, जो कई गम्भीर शीर्ष के काण्डों में आरोपित रहा है। जिसके आतंक से लोगों में दहसत का माहौल व्याप्त है। वर्तमान में ये अपराधकर्मी जमानत पर मुक्त हैं। अगर इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये आगामी लोकसभा चुनाव-2019 में मतदाताओं को भयभीत कर सकता है एवं उन्हें मतदान से वंचित करने का प्रयास भी कर सकता है, जिससे लोक शांति भंग हो सकती है।</p> <p style="text-align: center;">इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-</p> <p>1. मीरगंज थाना कांड संख्या-144/2017 दिनांक-11.10.17, धारा-30ए बिहार उत्पाद अधिनियम।</p>	

2. मीरगंज थाना कांड संख्या-32/2018 दिनांक-05.04.18,
धारा-153/295 भा0द0वि0

इस वाद में विपक्षी को थानाध्यक्ष, मीरगंज के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया। आज की सुनवाई में विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर कारणपृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा इस वाद से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" है तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर सगीर, पिता-मो0 उद्दीन, सा0-रंगपुरा रमना टोला उत्तर, थाना-मीरगंज, जिला-पूर्णिया को मीरगंज थाना क्षेत्र से तड़ीपार करते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अंतर्गत आदेश निर्गत होने के छः माह पूर्ण होने तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को थाना-जलालगढ़ में पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 दिन के बीच उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अन्य दिवस को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे के बीच स्थानीय थाना-मीरगंज में उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

विपक्षी यदि दिनांक 18.04.2019 को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मतदान की तिथि से कम से कम एक दिन पूर्व संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचने का रूटचार्ट एवं मोबाईल नं0 थानाध्यक्ष, मीरगंज को उपलब्ध कराते हुए उनसे अनुमति प्राप्त करेंगे।


अतएव सगीर, पिता-मो0 उद्दीन, सा0-रंगपुरा रमना टोला उत्तर, थाना-मीरगंज, जिला-पूर्णिया को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, मीरगंज/जलालगढ़ को भेजें।


थानाध्यक्ष, जलालगढ़/मीरगंज को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में अपराधकर्मी सगीर, पिता-मो0 उद्दीन, सा0-रंगपुरा रमना टोला

उत्तर, थाना-मीरगंज, जिला-पूर्णिया के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक निर्धारित दिवस में उक्त अपराधकर्मी का उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर/धमदाहा तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

लेखापित्र एवं संशोधित


जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।


जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

